भूमि कब आवंटन की गई। तरमीम की गई है जो निरस्त करवाकर दूसरी जगह तरमीम चाहते है। आवंटन आदेश, जीवराज के नाम का है। प्रार्थीगण के नाम भूमि किस प्रकार से आई है?

राजस्थान सरकार

( कायदा – 129 )

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/457

| किस्म मुकदमा<br>1 | नंबर मुकदमा<br>2 | तारीख दायर<br>3 | तारीख फैसला<br>4 | पेशी दिनांक<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Rtn 131–136 LR Act | 280/24 | 6/12/24 | जांच रिपोर्ट प्राप्त | 12/12/24<br>19/12/24<br>08.1.25<br>15/1/25<br>23/1/25<br>5/2/25<br>13/2/25<br>24/[illegible]<br>12/3/25<br>24/3/[illegible]<br>07/4/2[illegible]<br>07/4/2[illegible] |

अनवान

श्री कमला देवी W/o जीवा बंजारा श्री तहसीलदार बि[illegible]

निवासी फतेहनगर निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री अनिल पारिक श्री TDR

सुनील जोशी

# FORM NO. III

## फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

कमला ........................ बनाम श्रीमान तहसीलदार ........................

किस्म मुकदमा – 136 ........................ नम्बर 280 ......... /2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 06/[illegible]/2024 | प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 12/12/2024 को पेश हों।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>बिजौलियां | |
| 12/12/24 | पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 19/12/24 को वास्ते तलबी पेश हो।<br><br>उप खण्ड अधिकारी | |
| 19.12.24 | पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलिया की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पेशकार उपस्थित। तहसीलदार बिजौलिया की तरफ से जवाब अप्राप्त। तहसीलदार बिजौलियां को प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली आगामी दिनांक 08/1/25 को पेश हो। | |
| 8.1.2025 | पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते ई० रिपोर्ट (TDR) आगामी दिनांक 15/01/25 को पेश हो। | |
| 15/1/25 | पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते ई० रिपोर्ट (TDR) आगामी दिनांक 23/01/25 को पेश हो। | |

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियॉं, जिला–भीलवाड़ा

कमला ........ बनाम ........ TDR

रस मुकदमा धारा 131-136 LRAct प्रकरण संख्या 280/

CMS नम्बर:– 2024/457

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| /4/25 | पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते बहस/निर्णय आगामी दिनांक 07/04/25 को पेश हो<br>[signature]<br>उप खण्ड अधिकारी<br>बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा | |
| /4/25 | पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थना-पत्र को प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो<br>[signature]<br>उप खण्ड अधिकारी<br>बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा | |

राजस्थान सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 280 / 2024

दायर तारीख 06.12.2024

**अनवान**

01 कमला देवी पत्नि स्व. जीवा जाति बंजारा उम्र बालिग निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।
02 बहादुर पिता स्व. जीवा जाति बंजारा उम्र बालिग निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03 राजकुमार पिता स्व. जीवा जाति बंजारा उम्र बालिग निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
04 राधा पुत्री स्व. जीवा जाति बंजारा उम्र बालिग निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

............प्रार्थीगण

**बनाम**

01. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........... विपक्षी

**उपस्थित :–** श्री अनिल पारिक, सुनील कुमार जोशी...........अधिवक्ता प्रार्थी।
**पैरोकार सरकार** ..........**अधिवक्ता विपक्षी** ।

**<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>**

### –: निर्णय :–

दिनांकः–07/04/2025

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131–136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की अनुतोष चाहा कि:–

01. ग्राम नयानगर पटवार हल्का नयानगर तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 91 की आराजी संख्या 1283 / 187 कुल किता 01 रकबा 0.3237 भूमि हम प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड होकर चली आ रही है।
02. यह है कि कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि मे हम प्रार्थीगण को आवंटित होकर हमारे खातेदारी में चली आ रही है तथा उक्त भुमि को आवंटित करते समय आराजी 1141 / 187 के उत्तरी दिशा में पेमुद करी थी तथा हम प्रार्थीगण वर्तमान में 1141 / 187 के उत्तरी दिशा में काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं परन्तु उक्त नम्बरों को वर्तमान नक्शे मे गलत जगह तरमीम कर दिया इसलिए उक्त आराजी संख्या 1283 / 187 को नक्शे में शुद्दिकरण करके 1141 / 187 के उत्तरी दिशा में तरमीम किया जाना न्याय संगत हैं क्योंकि हम प्रार्थीगण इसी जगह पर काबिज होकर काश्त कर रहें तथा उक्त जगह खाली पड़ी है।
03. यह है कि प्रार्थी को वादग्रस्थ जायदाद कि जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस दिनांक 16.10.2024 को निकलाई तो पता चला प्रार्थीगण कि आराजीयात कि तरमीम गलत जगह हो रही है एवं विपक्षी को नक्शे में संशोधन हेतु कहा तो विपक्षी इनकार हो गए तो इसलिए प्राथीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131–136 भू राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार फरमाकर ग्राम नयानगर तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 91 में अंकित आराजी संख्या 1283 / 187 की कुल किता 01 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भुमि अंकित नक्शा ट्रेस में 1283 / 187 को 1141 / 187 के उत्तरी दिशा में अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

**उप खण्ड अधिकारी**
**बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा**

प्रार्थना पत्र दस्तावेजों की जांच कर दिनांक 06.12.2024 को दर्ज रजिस्टर करवाया
र विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना भेज करवायी गई। विपक्षी की बाद तामील प्राप्त
जिरो शामिल किया गया। विपक्षी राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां की
से पैरोकार सरकार उपस्थित। प्राथीगण की और से अधिवक्ता अनिल पारिक ने प्रार्थना पत्र के साथ
ल जमाबन्दी संवत 2076–2079 ग्राम नयानगर खाता संख्या 91 एवं ग्राम नयागनर की खाता संख्या 01
आधार संवत् 2076–2079 की जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार
जौलियां को पत्र क्रमांक/रिडर/2024/2417 दिनांक 26.12.2024 जारी हुआ जिसमें उक्त प्रार्थना पत्र के
न्ध में वर्तमान जांच/स्थल रिपोर्ट चाही गई। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां का जवाब
नाक/राजस्व/2025/449 दिनांक 17.03.2025 को प्राप्त हुआ जिसमें तहसीलदार बिजौलियां ने बताया की
अ.निरिक्षक सलावटिया व पटवारी हल्का नयानगर की रिपोर्ट अनुसार ग्राम नयानगर के आराजी संख्या
बर 1283/187 रकबा 0.3287 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय जो प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त
मे प्रार्थीया कमला देवी के पति जीवा पिता नाथु बंजारा निवासी फतहनगर को आवंटन कमिटी द्वारा दिनांक
7.07.1989 को आराजी नम्बर 1026/187 में 02 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। जिसके पेमुदगी व तरमीम के
द नवीन आराजी संख्या 1283/187 बने जिसका रकबा वर्तमान में 0.3237 हैक्टेयर है। प्रार्थीगण वर्तमान
ाराजी संख्या 187 में काबिज है तथा मौके पर पत्थर के जोटे की कोट लगा रखी है। आराजी नम्बर
283/187 की जहां राजस्व नक्शे में तरमीम है वहां उबड़–खाबड़ होकर आंशिक पर मालवा पड़ा है। मौके
र आराजी नम्बर 1283/187 में किसी का कब्जा नहीं है। एवं प्राथीगण मौके पर आराजी नम्बर 187 में
कब्जा काश्त है। जहां प्रार्थीगण तरमीम शुद्धि चाहते है वहां प्राथीगण का पत्थर की कोट लगाकर कब्जा है।
आराजी नम्बर 187 रकबा 0.9793 हैक्टेयर किस्म बंजड़ दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजीयात के आस–पास भूमि
पड़त हैं। प्रार्थीगण स्वयं की आवंटित भूमि आराजी संख्या 1283/187 रकबा 0.3237 हैक्टेयर की तरमीम
आराजी नम्बर 187 में चाहते हैं। मौके पर कोई विवाद नहीं है। मौका अनुसार आराजी संख्या 187 में उक्त
तरमीम करने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया है।

अतः न्यायालय में उक्त प्रकरण में जांच रिपोर्ट मय मौका पर्चा, नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, आवंटन पत्रावली की नकल व नजरी नक्शा की प्रति के साथ श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है। तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त रिपोर्ट को संलग्न पत्रावली किया गया। तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त रिपोर्ट को प्रार्थी अधिवक्ता ने स्वीकार किया किया। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की सुनी गई हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का एवं तहसीलदार बिजौलिया की जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी बहस के दौरान सहमति प्रदान कि की प्रार्थी के पक्षगण में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। न्यायालय प्राथीगण के पक्ष में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समक्षता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिए जाते हैं किः–

## –ःआदेशः–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131–136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है। प्राथीगण की ग्राम नयानगर पटवार हल्का नयानगर भू.अभि.निरिक्षक सलावटिया तहसील के खात संख्या 91 में अंकित खसरा नम्बर 1283/187 क्षेत्रफल 0.3237 किस्म बारानी तृतीय कुल किता 01 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टेयर भूमि की तरमीम ग्राम नयानगर खाता संख्या 01 के खसरा नम्बर 1141/187 क्षेत्रफल 0.6799 के उत्तरी दिशा में स्थित खसरा नम्बर 187 क्षेत्रफल रकबा 0.9793 किस्म बंजड़ में (तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त नक्शा ट्रेस अनुसार) के 0.3237 हैक्टेयर क्षेत्रफल में किए जाने के आदेश पारित किए जाते हैं। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। तहसीलदार बिजौलियां उक्त आदेश की राजस्व रिकॉर्ड/नक्शा में पालना कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करें।

आदेश आज दिनांक 07/04/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां